ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-9* December-2021
Anthology : The Research

जनजातीय समाज में प्रचलित प्रथाएँ एवं कुप्रथाएँ: एक वैज्ञानिक विश्लेषण

Prevailing Customs and Malpractices in Tribal Society: A Scientific Analysis

Paper Submission: 10/12/2021, Date of Acceptance: 21/112/2021, Date of Publication: 23/12/2021

रेखा जौरवाल
सह- आचार्य
इतिहास विभाग
गौरीदेवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

जनजातीय जीवन की आधारशिला उनके विश्वास और परंपराएँ हैं। समाज और संस्कृति का नियमन और अनुशासन वहीं से होता है। जनजातीय समुदाय में परिवार और समाज से संबंधित विभिन्न धारणाएँ प्रथाऐं और कुप्रथाऐं प्रचलित हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग-अलग मान्यताएँ व रीति-रिवाज हैं। जिनका आज के तकनीकी युग में कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएँ समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। अतः आज के सामाजिक और सांस्कृतिक युग में इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना उचित है। इनके औचित्य और अनौचित्य पर विचार करना आवश्यक है। समाज की घातक कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु शिक्षा का अधिकारिक प्रसार आवश्यक है। वर्तमान जनजातीय युवापीढ़ी जब इस कुप्रथा को दूर करने का संकल्प लेगी तभी इन बुराईयों का उन्मूलन संभव है।

The cornerstone of tribal life is their beliefs and traditions. The regulation and discipline of society and culture takes place from there. Various beliefs, customs and customs are prevalent in the tribal community related to family and society. Each community has its own different beliefs and customs. Which has no justification in today's technological age. Some practices have lost their relevance over time.Therefore, in today's social and cultural era, it is appropriate to analyze them scientifically. It is necessary to consider their pros and cons. Official spread of education is necessary for eradicating the deadly evils of the society. The eradication of these evils is possible only when the present tribal youth takes a pledge to remove this evil practice.

मुख्यशब्दः पहनावा, परम्पराऐं, तंत्र-मंत्र,दापा, डायनप्रथा।
Keywords: Clothing, Traditions, Tantra-Mantra, Dapa, Witchcraft.

प्रस्तावना

भारतीय समाज विविधताओं का संगम है। समाज सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है। मानव समाज भावनाओं व प्रेम के प्रगाढ़ रूप से फलस्वरूप निर्मित है। इस विराट देश की मनोरम भूमि का इतिहास कई संस्कृतियों ने मिलकर रचा है। संस्कृति समाज के विशिष्ट रहन-सहन, पहनावा, खान-पान, रीति-रिवाज आदि से उत्पन्न है। समाज एक सम्बन्ध मूलक संकल्पना है।

अध्ययन का उद्देश्य

व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू एक दूसरे से आचार व्यवहार करते हैं यही समाज की प्रमुख आवश्यकता व विशेषता भी है। समाज नामक संस्था में विभिन्न सदस्यों के मध्य एक दूसरे के अस्तित्व व्यक्तित्व, आवश्यकताओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों, समानताओं असमानताओं आदि के प्रति जागरूकता रहती है।

जनजातीय समाज एक परिचय

जनजाति एक मानव समूह होता है। प्रत्येक जनजाति का एक सामाजिक संगठन होता है जो कुछ प्रथाएं, परम्पराएं, धर्म एवं रूढ़ियों पर आधारित होते हैं तथा इन्हीं के कारण उसे स्थिरता प्राप्त होती है। सामाजिक संगठन के द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। यह सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित ही नहीं बल्कि निर्देशित भी करता है इससे कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। भारत में जनजातियों की संख्या देश की जनसंख्या का 8.4 प्रतिशत है। ये जनजातीयाँ भारत के हर क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारत में राजस्थान, झारखण्ड़, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में इनकी संख्या बहुतायात में है। आदी जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है। भारत सरकार ने आदिवासी जनजातियों को विभाजित करके उन्हें सरकारी लाभ देने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का सहारा लिया है। योगेश अटल व यतीन्द्र सिंह सिसोदिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "भारत सरकार किसी भी समूह को आदिवासी करार देने के लिए जिन पाँच संकेतकों का सहारा लेती है वे निम्नलिखित हैं (प) आदिम लक्षण (पप) विशिष्ट - संस्कृति (पपप) भौगोलिक पृथक्करण (पअ) समाज के एक बड़े भाग से सम्पर्क में संकोच तथा (अ) पिछड़ापन।" इन सभी संकेतों पर खरी उतरी भारत में कई जनजातियाँ सरकारी लाभ उठा रही है। जैसे ऊँराव, मुंडा, संथाल, भील, टोडा, काडर, कमार, गोड, मुरिया, बोंडा, भोटिया, मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया थारू आदि जनजातियाँ इनके समाज की - अपनी अलग विशेषताएं हैं, प्रथाएँ हैं, क्रियाकलाप हैं।

प्रथाएँ व कुप्रथायें

भारतीय इतिहास के युगों में विभिन्न जातियों, प्रजातियों के लोग यहाँ आए और उनकी सांस्कृतिक परम्परा की धाराएं भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन गई। प्रत्येक समाज में सुख व दुःख को अनुभव करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएँ हैं जो इतिहास से शुरू होकर समाज विशेष द्वारा समयपर्यन्त चली आ रही हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखती हैं कि "मानवशास्त्रीय अर्थ में प्रथा सामाजिक रूप से अनुमान्य व्यवहार है जो पीढ़ी दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता है। इस प्रकार प्रथाएं सामाजिक व्यवस्था व नियंत्रण की प्रमुख अभिकारक है। उनके विश्वास-अंधविश्वास उन्हें अन्य धर्मों से पृथक करते हैं। हिन्दू रीति-रिवाज वैदिक सभ्यता की देन है लेकिन वैदिक सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव लेकर बनी इन जनजातियों की प्रथायें अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी प्रथायें प्राकृतिक कारणों व प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होती हैं। इन समुदायों का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता था परन्तु अब विज्ञान और तकनीक का प्रभाव भी इन तक पहुँचने लगा है। प्रथाओं की उत्पत्ति के संबंध में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर साहिब लिखते हैं कि "जहाँ तक मैं समझता हूँ। आज तक इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई हैं। अनेक दार्शनिक सिद्धान्त इन प्रथाओं की प्रतिष्ठा में प्रतिपादित किये गये हैं। परन्तु कहीं से इनके उद्भव और अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। इन प्रथाओं का औचित्य जीवन को सुखमय बनाना होता है। परन्तु जब ये प्रथायें किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को हानि पहुँचाने के मकसद से की जाती हैं तो ये कुरीतियाँ या कुप्रथायें कहलाती हैं। जिस व्यक्ति के साथ कुप्रथायें होती हैं. वह उनको समाज का नियम व अन्य की खुशीमानकर स्वीकार करता जाता है। इन कुप्रथाओं ने भी समाज में आधिपत्य सदियों से बनाया हुआ है। जिनसे समाज को मानसिक आर्थिक व शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जनजातीय समाज जादू-टोनो, तन्त्र मंत्र, टोटकों, शकुन-अपशकुनों में अत्यधिक विश्वास के चलते कुप्रथाओं का निर्वहन करता है। कुछ इनकी कुप्रथायें जो आज भी समाज को विकास की राह में नहीं बढ़ने देती है वे हैं -

बड़का पूजा प्रथा

थारू जनजाति जो कि बिहार राज्य में चम्पारण के आस-पास पाई जाती है, में एक महत्वपूर्ण प्रथा है "बड़का पूजा" जिसमें सुअर का मांस, दारू, दही, भात दाल आदि कुल देवता यानि 'मईया" के स्थान पर चढ़ाया जाता है। इस पूजा में बलि दिये जाने वाले सूअर को "आछावन" कहा जाता है। उसकी हत्या उसके सिर पर एक बार जोर से लाठी मारी जाती है। इसी प्रकार की एक पालरा पूजा भी है जिसमें मुर्गे की या खस्सी की बलि दी जाती है। जीवों की हत्या सरेआम करके उसे प्रथा बनाये यह अमानवीय कृत्य देखने वालों के रोंगटे खड़ा कर देता है।

दापा

आदिवासी जनजातियों में विवाह से पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को इस रिवाज में निर्धारित मूल्य देना होता है। इस रीति को "दापा" कहते हैं। जिसके बेटी है वह मुँह माँगा दापा माँग रहा है या किसी के बेटी नहीं होने पर वह पुत्र की शादी के लिए दायें की मोटी राशि अदा करता है। "थारू जाति में कुछ समय पहले कन्यौती (दापा) प्रथा का बोलबाला था इसमें पिता अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का पक्ष से पैसा लेता था, इस कुरीति की वजह से गरीब माँ-बाप पैसे के लोभ में अपनी बेटियों की शादी बूढ़े, कुरूप, विदुर और शादीशुदा व्यक्तियों से करा देते थे। डॉ. रमणिका गुप्ता कहती हैं कि "इस शुल्क प्रथा के कारण कभी-कभी तो लड़कियाँ लम्बी उम्र तक अविवाहित भी रह जाती हैं" और कभी-कभी लड़के आजीवन कुँवारें ही रह जाते हैं। "दापा व दहेज दोनों ही कुरीतियों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाना अतिआवश्यक विषय है।

अंधविश्वासी डायन प्रथा

डॉ. रमणिका लिखती हैं कि आदिवासी स्त्रियाँ स्वावलम्बी होती हैं। वे खुद कमाकर अपना और अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करती हैं। ऐसी स्त्रियों में सम्पत्ति के हिस्से का अधिकार ना होने के कारण परित्यक्त या विधवा होने पर डायन कहकर अपमानित प्रताड़ित करना या उनकी हत्या तक कर दिया जाना आदिवासी समाज में आज आम बात हो गई है। अपने प्रथा पितृ सत्ता वर्चस्ववादी रूझान के साथ साथ स्त्रियों के सम्पत्ति में हक न होने के परिणामस्वरूप भी उपजी है। यह प्रथा एक स्त्री जीवन होना कलक ही है यह महसूस कराता है।

नाभि खिलाने की अमानवीय प्रथा

एक थारू महिला के अनुसार जब किसी औरत को बच्चा जन्म लेने के पश्चात मर जाता है तो उसे किसी दूसरी औरत के बच्चें की नाभि खिला दी जाये तो उसका बच्चा जीने लगता है। परन्तु जिस शिशु की नाभि खिलायी जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। नाभि खिलाने के दो तरीके हैं एक तो उसे किसी खाने की वस्तु के साथ सीधे घोंट लिया जाता है एवं दूसरा नाभि को जलाकर उसकी भस्म को किसी अर्ध तरल पदार्थ में मिलाकर खा लिया जाता है इसे खाना निश्चय ही घृणास्पद होगा" ऐसा अमानवीय कृत्य उस औरत के लिए कितना दुखदायी होगा। यह सोचना इंसानियत और किसी दूसरे को दुख देकर से सुख प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कार्य रीति नहीं कुरीति कहलाती है।

प्रेम विरोधी कठोर सामाजिक प्रथा 'ढाठ'

अपने समाज व जाति के ही स्त्री-पुरुष से विवाह करना, यह भी एक कठोर कुरीति है। आदिवासी समाज इन सभी मान्यताओं से अभी बाहर नहीं आया है। इनकी कठोर प्रथाएँ इनके गुनेहगार को मृत्यु तक माफ नहीं करते। पिछले कुछ 2-3 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में एक प्रेमी युगल को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाँसवाड़ा में पिछले साल युवक व युवती के प्रेम प्रसंग के चलते पेड़ से लटका दिया गया। पिछले दिनों ही एक जोड़े को व उनके माँ-बाप को नंगा करके गाँवों में घुमाया गया। बाद में वे परिवार गाँव छोड़कर ही चले गये लड़की के माता-पिता तो ऐसी घटनाओं में कई बार आत्महत्या ही कर लेते हैं। डॉ. रमणिका गुप्ता के अनुसार "मिजो कवयित्री तलथेरी का प्रेम जब एक सामान्य युवक चलथंगा से हो गया तो उसके भाइयों ने

चलथंगा का सिर काट डाला।'' ऐसे कठोर नियम स्त्री व पुरुष दोनों का जीवन बरबाद कर देते हैं। ये प्रथाओं के नाम पर कुप्रथाएँ हैं। ''ढाठ'' भी ऐसी ही एक परम्परा है जिसमें इस परम्परा का उल्लघंन कर अगर कोई लड़की गैर बिरादरी के युवक से प्रेम विवाह कर भाग जाती थी तो उस युवती की बिरादरी के नवयुवक इसे अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक का टीका मानते थे। येन-केन प्रकारेण उस लड़की को पकड़कर लाते थे और अपनी बिरादरी के किसी सम्पन्न व्यक्ति के घर उसे रख देते थे वही ''ढाठ'' कहलाता था। ''ढाढ'' के बाद भी अगर लड़की जाति के लड़के से विवाह नहीं करती या दोबारा भाग जाये तो ''हुर्रा बोलना'' नाम से समाज द्वारा एक कठोर कदम उठाया जाता था जिसमें लड़की की बिरादरी के नवयुवक उसके साथ मनमाने ढंग से सामुहिक कुकृत्य शुरू करते थे और यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कि वह बिरादरी में विवाह के लिए हाँ न कर दे।

बालविवाह

कुछ थारूओं की धारणा है कि लड़की रजोधर्म होने के बाद पवित्र नहीं रह जाती है अतः ऐसी लड़की का कन्यादान करने से वाछित धार्मिक फल नहीं मिलता। अतः रजोधर्म प्रारम्भ होने से पहले ही लड़की की शादी कर देना पसन्द करते हैं। दूसरा कारण अपनी बिरादरी में लड़की नाम खराब ना कर दे, वह अन्य समुदाय के लड़के से विवाह ने कर ले, अतः बालविवाह जैसी कुरीति को बल मिला। आज भी कानून के डर से छुपा-छिपी में ये विवाह आम हैं।

प्रग्रहण विवाह

प्रगहण विवाह में कोई युवक जब किसी युवती पर लट्टू हो जाता था, परन्तु उक्त युवती के परिजन उसकी शादी किसी कारण से उस युवक के साथ करने के लिए तैयार नहीं होते थे। वह उस युवती को बलपूर्वक उठा ले जाकर उससे ब्याह रचा लेता था ''ऐसी विवाह प्रथा भविष्य में निभ जाये यह निश्चित नहीं होने के साथ साथ स्त्री जीवन लिए अत्याचार ही है।

धाड़ परम्परा

राजस्थान में अकाल पड़ने पर पास के गाँव से औरतों द्वारा बकरी चुराकर लाई जाती है तथा इन्द्र देव को प्रसन्न करने के लिए झटके से मारकर खाया जाता है। इन अंधविश्वासों में पता नहीं कितने निरपराधी जीवों को मार दिया जाता है।

गोदने की प्रथा

आदिवासियों में अपने हाथों, मुँह आदि भागों में गुदवाने का प्रचलन है उनकी सोच इसके पीछे यही होती है कि मरने के बाद भी शरीर की शोभा समाप्त नहीं होती। एक ही मशीन कई शरीरों में रक्त को मिला देती है जिससे एड्स जैसे घातक रोग का भी फैलने का भय होता है। वर्तमान में सरकारी खेलों, पुलिस फौज आदि भर्ती में यह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

निष्कर्ष

रीतियाँ हमारे सामाजिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण रास्ता व पहचान है। समाज अपना भविष्य भूत को साथ रखकर ही तय कर पाता है। हमारी सामाजिक परम्पराएँ मानसिक व वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं लेकिन उन्हीं परम्पराओं को वहन करने का कोई वैज्ञानिक आधार न होने के साथ-साथ मानसिक पीड़ा का अनुभव होना उन्हें कुरीति बना देता है। ऐसी कुरीतियाँ मानव पेड़-पौधे आदि को हानि पहुंचाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक मानव इन कुरीतियों को निभाने के लिए परजीवों या मानव को तकलीफ देता है। आदिवासियों में भी ये कुरीतियाँ अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसी कुरीतियों के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन समाज की लुका-छिपी में ये कुरीतियाँ आज भी सुचारू हैं। अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए किसी सजीव की हत्या करने जैसा अमानवीय कृत्य इन कुरीतियों के महत्वपूर्ण पक्ष है जो इन्हें रोकने व खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. *आदिवासी भारत, योगेश अटल व यतीन्द्र सिसोदिया, पृष्ठ - 15*
2. *लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, रजवाड़ों के रीति रिवाज, पृष्ठ - 60*
3. *सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड-1 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पृष्ठ - 25*
4. *थारू एक अनूठी जनजाति, पृष्ठ-43 प्रकाश चन्द्र दुबे*
5. *डॉ. रमणिका गुप्ता, आदिवासी अस्मिता का संकट, पृष्ठ - 78*
6. *थारू एक अनूठी जनजाति, पृष्ठ- 33 प्रकाश चंद्र दुबे*
7. *वही पृष्ठ -81*
8. *वही पृष्ठ - 39*
9. *वही पृष्ठ - 43*